संख्या-8/2566/26-2-2013-
एस0एन0डी0(826)/2012

प्रेषक,

के0 राम मोहन राव
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 11 नवम्बर, 2013

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत की गयी आय-व्ययक व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-112/स0क0/रा0ल0बा0पें0यो0/बजट/2013-14 दिनांक 14.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या-840/26-2-2013-एस0एन0डी0(826)/2012 दिनांक 07.05.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-80 में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में किये गये बजट प्राविधान रू0 600.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम छमाही के लिये 50 प्रतिशत धनराशि रू0 300.00 करोड़ (रू0 तीन अरब मात्र) आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी हैं। श्री राज्यपाल प्रश्नगत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय छमाही के लिये अवशेष धनराशि रू0 300.00 करोड़ (रू0 तीन अरब मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त् कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप द्वितीय छः माह के लिए किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28.03.2013 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी योजना/मद परकिया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजना/मद पर पुर्नविनियोजित/व्यय नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त योजना में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनागत-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-04-रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28.03.2013 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

के0 राम मोहन राव
सचिव

<u>संख्या-2566(1)/26-2-2013 तददिनांक</u>

shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज कुमार त्रिवेदी
अनु सचिव

shasanadesh.up.nic.in